विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा. सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं.–1 का उत्तर।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि देशी शराब को बनाने व बेचने की जिम्मेदारी सरकार के नियंत्रण में है?</td><td>जी हॉ।</td></tr>
<tr><td>(ख) यदि हां, तो देशी शराब बनाने पर आने वाली लागत के अनुसार विक्रय मूल्य का निर्धारण किया जाता है?</td><td>जी नहीं।
मदिरा के लागत मूल्य एवं उसके अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य के आगणन में विभिन्न मदों यथा प्रतिफल शुल्क, निर्माता का लाभ, परिवहन व्यय, थोक विक्रेता का गोदाम खर्चा, छीजन, थोक विक्रेता के लाइसेंस फीस का इन्सीडेन्स, थोक विक्रेता का लाभ, थोक विक्रेता द्वारा इन्डेन्ट के अन्तर्गत दी गयी धनराशि पर ब्याज, फुटकर विक्रेता के लाइसेंस फीस का इन्सीडेन्स, फुटकर विक्रेता का लाभ एवं व्यय ट्रैक एण्ड ट्रेस फीस एवं अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क आदि के शासन द्वारा निर्धारित दरों को भी सम्मिलित किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>(ग) यदि हॉ, तो देशी शराब के एक 200 एम.एल. के पाउच की लागत कितनी आती है एवं उसके बिक्री की कीमत क्या है?</td><td>
<table>
<tr><td>200 एम.एल. (36 प्रतिशत)</td><td>अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य रू. 65/–</td><td>लागत मूल्य रू. 4.95</td></tr>
<tr><td>200 एम.एल. (25 प्रतिशत)</td><td>अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य रू. 50/–</td><td>लागत मूल्य रू. 4.38</td></tr>
<tr><td>200 एम.एल. (42 प्रतिशत)</td><td>अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य रू. 75/–</td><td>लागत मूल्य रू. 5.30</td></tr>
<tr><td>200 एम.एल (यू.पी.एम. एल.)</td><td>अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य रू. 80/–</td><td>लागत मूल्य रू. 9.17</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(घ) क्या देशी शराब के निर्माण व बिक्री में संतुलन बनाने हेतु नीति बनाने पर विचार करेंगे?</td><td>अवगत कराना है कि देशी मदिरा दुकान का वार्षिक कोटा (एम.जी.क्यू.) आबकारी नीति के अनुसार निर्धारित होता है। वार्षिक कोटे अथवा इससे अधिक की मांग के अनुरूप देशी मदिरा का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में देशी शराब के निर्माण एवं बिक्री में पूर्ण संतुलन है। किसी प्रकार की कमी या आधिक्य की सूचना प्रकाश में नहीं आयी है ।</td></tr>
<tr><td>(ड़) यदि हॉ, तो कब तक?</td><td>उपरोक्तानुसार</td></tr>
<tr><td>(च) यदि नहीं, तो क्यों?</td><td>उपरोक्तानुसार</td></tr>
</table>

नितिन अग्रवाल
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आबकारी विभाग